भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2365

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कारगिल जिला अस्पताल का उन्नयन

†2365. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिला अस्पताल, कारगिल को 75 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 बिस्तरों वाली सुविधा में उन्नयन करने और उन्नत नैदानिक और उपचार बुनियादी ढांचे के लिए लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त उन्नयन को किस समय-सीमा तक स्वीकृत और पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या सरकार को जिला अस्पताल, कारगिल को एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में और उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या विचाराधीन है और यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) उक्त जिले की दूरस्थ, अधिक ऊंचाई वाली स्थिति और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच को देखते हुए बेहतर द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति के विचारार्थ कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से, जिला अस्पताल कारगिल को 75 बिस्तरों वाले अस्पताल से 200 बिस्तरों वाली सुविधा में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत,

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (एनपीसीसी) द्वारा विधिवत मूल्यांकित समग्र संसाधन आवंटन के अंतर्गत, आवश्यकता आधारित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एनएचएम आरओपी 2024-26 के तहत दी गई स्वीकृतियों का विवरण इस लिंक पर उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinklid=1377&lid=744

इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में परिवर्तित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है ताकि समुदायों के करीब निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, पुनर्वास, वृद्धावस्था और उपशामक सेवाओं को कवर करने वाले व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारह पैकेज प्रदान किए जा सकें।

संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, आईपीएचएस 2022 के दिशानिर्देशों में दूरस्थ, जनजातीय, मरूस्थल और दुर्गम क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है। इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदानों के तहत भवनविहीन एसएचसी और पीएचसी के निर्माण और सुदृढ़ीकरण विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है।

*****